न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2022/241

1. दिनेश कुमार पुत्र रामकुवार उम्र 50 वर्ष,
2. रोहताश पुत्र मेहरचन्द उम्र 65 वर्ष,
3. सुरेन्द्र पुत्र जवाहर उम्र 63 वर्ष समस्त जाति अहीर निवासीगण ग्राम पोस्ट जखराना कलां तहसील बहरोड जिला अलवर, राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बहरोड़ जिला, राजस्थान।
2. ग्राम पंचायत जखराना, तहसील बहरोड़, जिला अलवर, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट

3. दयानन्द पुत्र मेहरचन्द,
4. कमला पुत्री रामकुवार,
5. कृष्णा पुत्री रामकुवार,
6. गोपीदेवी पत्नी रामकुवार,
7. ममता पुत्री रामकुवार, समस्त जाति अहीर, निवासीगण ग्राम पोस्ट जखराना कलां तहसील बहरोड़, जिला अलवर, राजस्थान।

––तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री राजेश रूहेला एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से**
3. **श्री सत्यनारायण टेलर, एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 7 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 17.08.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मु. जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि हाल खसरा नम्बर 925 रकबा 0.59 हैक्टयर, खसरा नम्बर 926 रकब 0.62 हैक्टयर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड मे अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण संख्या 3 लगायत 7 के नाम से ग्राम जखराना तहसील बहरोड़ जिला अलवर में स्थित है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की उक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 925 में से रकबा 0.0480 हैक्टयर, खसरा नम्बर 926 में से रकबा 0.0360 हैक्टयर भूमि गैर मुमकिन रास्ते के रूप में अपीलार्थीगण को बिना नोटिस दिये व बिना सुनवाई का अवसर दिये ही गैर मुमकिन रास्ते के रूप में अंकित करने के आदेश फरमाये गये जो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है तथा तहसीलदार व पटवारी की मनगढंत रिपोर्ट के आधार पर गांव के राजनैतिक पहुँच वाले व्यक्तियों को नाजाईज लाभ

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

पहुचाने के लिऐ अपीलार्थीण व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 7 के कब्जे की खातेदार की कृषि भूमि के सम्बन्ध में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2021 की जानकारी अपीलार्थीगण को दिनांक 27.04.2022 को तब हुयी जब अपीलार्थीगण किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये पटवारी के पास गये तब अपीलार्थीगण की जानकारी में आया कि अपीलार्थीगण की खातेदारी की उक्त भूमि में से रकबा कम कर गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे दर्ज कर दिया जिस पर अपीलार्थीगण द्वारा जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन किया जो नकल दिनांक 27.04.2022 को अपीलार्थीगण को प्राप्त हुई जिस पर अपीलार्थीगण की जानकारी में आया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2021 की द्वारा अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि का रकबा कम करके गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज कर दिया गया है जिस पर अपीलार्थीगण द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2021 की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुये तथा प्रकरण की जानकारी कर दिनांक 02.05.2022 के प्रमाणित प्रतिलिपि सम्पूर्ण पत्रावली हेतु आवेदन किया जो नकल दिनांक 02.05.2022 को प्राप्त होने पर अपीलार्थीगण की जानकारी में आया कि तहसीलदार द्वारा दीगर व्यक्तियों से मिलीभगत कर अपीलार्थीगण को जानकारी नही होने देते हुये अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को नोटिस जारी किये बिना तथा अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2021 पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्तनीय है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2021 को निरस्त फरमाया जावें तथा आदेश दिनांक 17.12.2021 की पालना में तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही को निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना में राजस्व ग्राम जखराना में मौके पर चालू स्थाई रास्तों को राजस्व रिकार्ड में किस्म गैर मु.रास्ता दर्ज करवाने के प्रस्ताव तहसीलदार बहरोड़ द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2021 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नही की गई है तथा अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दु पर भी खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त रास्ता पूर्व में वर्षो से चालू रहा है जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार बहरोड़ द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के पालना में प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाये गये है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त चालू स्थायी रास्ता सार्वजनिक रास्ता सम्बन्धी खातेदार की खातेदारी में ही रहने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2021 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2021 को यथावत रखा जाता है।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 17.08.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर